न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 251/2023

GCMS NO. : 2023/324

–:: प्रार्थी ::–

1. जगदीश पुत्र बालुराम जाति–माली निवासी– भेरजी की ढाणी, रास तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. उगमाराम पुत्र मोतीजी
2. गणपतलाल पुत्र सम्पत
3. गोपाल पुत्र मोती
4. छटी पत्नी भंवरलाल
5. छोटूराम पुत्र चन्द्राराम
6. छोटूलाल पुत्र सम्पत
7. जगदीश पुत्र मोती
8. दिलखुश पुत्र पप्पूराम
9. सुनिल सांखला पुत्र भंवरलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता छटीदेवी
10. पुखाराम पुत्र धन्ना
11. पपूड़ी पत्नी पप्पूराम
12. प्रकाश पुत्र पप्पूराम
13. प्रेमचन्द्र पुत्र धन्ना
14. भंवरलाल पुत्र सम्पत
15. मुन्नाराम पुत्र मंगलाराम
16. मललादेवी पत्नी मोती
17. महेन्द्र पुत्र मंगलाराम
18. रूपाराम पुत्र चन्द्राराम
19. रमेश पुत्र मोती
20. राजुराम पुत्र मंगलाराम फौत के का0मु0
    20/1– सुमन पत्नी राजुराम
    20/2– प्रियांशु पुत्र राजुराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सुमन
    20/3–योगिता पुत्री राजुराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सुमन
    20/4– ललिता पुत्री राजुराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सुमन
    20/5– निकिता पुत्री राजुराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सुमन
21. रामदेव पुत्र सम्पत
22. श्रीकिशन पुत्र मंगलाराम
23. सत्यनारायण पुत्र चन्द्राराम
24. सुरेश पुत्र पप्पूराम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी जैतारण (ब्यावर)

25. हरजी पुत्र पूसा
26. हरजीराम पुत्र मोती
समस्त जातियान –माली,
निवासीगण–भेरजी की ढाणी, रास
तहसील– जैतारण जिला–ब्यावर
राज0।
27. राज्य सरकार जरिये लेण्ड होल्डर
तहसीलदार, जैतारण
28. श्रीमान उपपंजीयक महोदय
आ0कालू तहसील–जैतारण
जिला–ब्यावर राज0।
29. राज्य सरकार जरिये जिला
कलेक्टर पाली राज0।
जातियान–बावरी,निवासीगण–खराड़ी,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 17/07/2023

उपस्थितः–

1. श्री मेलविन चार्ली, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 24/10/2024**

वकील मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– रास–1, पटवार क्षेत्र–रास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–रास, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर में खसरा नंबर 1666 रकबा 1.5135 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 1669/1 रकबा 0.5018 किस्म चाही प्रथम की आराजियात स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त, हक हकूक की आराजियात चली आ रही है तथा उपरोक्त वर्णित आराजियात भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 के नाम ही राजस्व अभिलेखों में बहैसियत खातेदार काश्तकार चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी भी अपने उपरोक्त वर्णित हक हिस्से के अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजियात में संयुक्त रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी का भी उपरोक्त समस्त आराजियात में संयुक्त रूप से हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त, हित. अधिकार, स्वत्व, आधिपत्य, उपयोग, उपभोग अनवरत रूप से सभी अप्रार्थीगण की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजियात का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजियात आज दिवस तक संयुक्त ही चली आ रही है जिसका आज दिवस तक कोई बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हो रखा है जिसकी वजह से आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 के मध्य विवाद होते रहते है। इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात को संयुक्त नहीं रखना चाहता है तथा उक्त आराजियात का बंटवारा करवाकर अपना हक हिस्सा अलग करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा समय

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

समय पर अपने हक हिस्से की आराजियात में काफी समय, श्रम एवं धन व्यय कर उक्त आराजियात में उच्च किस्म के खाद बीज डालकर उन्हे समतल कराकर काश्त योग्य बनाया तथा उसमे काफी विकास एवं विस्तार किया है जिसकी वजह से उक्त आराजियात काफी उन्नत, उपजाऊ एवं कीमती हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षो से जमीन जायदादों की कीमतों में हो रही बेशुमार वृद्धि की वजह से भी उक्त आराजियात की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है तथा उक्त आराजियात और अधिक कीमती हो चुकी है। उपरोक्त वर्णित आराजियात की कीमतों में वृद्धि होने तथा उपरोक्त वर्णित आराजियात अत्यधिक कीमती हो जाने की वजह से अब अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 की नियत खराब हो चुकी है तथा अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 अब येनकेन प्रकारेण प्रार्थी के हक हिस्से की आराजियात में जबरन कब्जा करके प्रार्थी को बेदखल करने तथा उसमें तोडफोड एवं निर्माण करते हुए उसका स्वरुप परिवर्तित करने तथा उसे बिना विभाजन करवाये ही अन्यत्र विक्रय एवं हस्तांतरित करने पर उतारू चले आ रहे हैं। जबकि कानूनन भी अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 को प्रार्थी के हक हिस्से की आराजियात में आने, किसी तरह की कोई दखलअंदाजी करने, कब्जा करने, तोडफोड, निर्माण या परिवर्तन करने तथा उसे किसी तरह से विक्रय या हस्तांतरित करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। किंतु अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। इसी बदनियतिवश प्रार्थी के बार बार निवेदन किये जाने के बावजूद उपरोक्त आराजियात का विभाजन नहीं कर रहे है। अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 दिनांक 12/04/2023 को प्रार्थी के पास आये तथा प्रार्थी को धमकाने लगे कि प्रार्थी कुछ दिनों में उपरोक्त आराजियात से अपना कब्जा हटा लेवे। वे इस पर अपना कब्जा करेंगे। इस पर प्रार्थी ने निवेदन किया कि उपरोक्त आराजियात उसकी भी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात है। किंतु अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 अपनी रकतों से बाज नहीं आ रहे है तथा प्रार्थी को कुछ दिनों में जबरन बेदखल करके कब्जा करने तथा अन्यत्र विक्रय एवं हस्तांतरित करने की धमकी दी है। इस कारण इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 की नियत खराब होने की वजह से अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 दिनांक 17/04/2023 को वादग्रस्त आराजियात पर आये और प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते हुए उसे जबरन बेदखल करने एवं कब्जा करने की कोशिश करने लगे। किंतु प्रार्थी के भरसक विरोध के कारण वे इसमे सफल नहीं हो सके। किंतु अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 ने प्रार्थी को धमकी दी कि उनकी नजर इस पूरी आराजियात पर है कुछ दिनों में मौका देखकर प्रार्थी को उपरोक्त आराजियात से जबरन बेदखल करके उस पर अपना कब्जा कर लेंगे तथा उसे अन्यत्र विक्रय एवं हस्तांतरित करते हुए अन्य को काबिज करवा देंगे तथा उसमें तोडफोड करते हुए क्षतिग्रस्त कर देंगे तथा उसमें निर्माण करते हुए उसका स्वरूप ही परिवर्तित कर देंगे। इस पर प्रार्थी ने उस समय भी उपरोक्त आराजियात का विभाजन करके प्रार्थी का हिस्सा अलग करवाने हेतु निवेदन किया। किंतु अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 विभाजन करवाने तथा प्रार्थी को हिस्सा देने से ही इंकार हो गये। अतः अप्रार्थीगण के कृत्यों को देखते हुए इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। यह कि ऐसी स्थिति में अब कानूनन अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

स्वयं, उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजदूर, मिस्त्री, हाली. असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे प्रार्थना पत्र के पद नंबर 1 में वर्णित आराजियात मे प्रार्थी के हक हिस्से में ना तो आवे, ना ही श्उसमे चले आ रहें प्रार्थी के हक, हिस्से, कब्जे, काश्त, उपयोग उपभोग आदि में कोई दखलअंदाजी उत्पन्न करे, ना ही उसमे किसी तरह का कोई दखल व/या बाधा उत्पन्न करे, ना ही उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास करे, ना ही कब्जा करे, ना ही प्रार्थी को उक्त भूमियों से अथवा उसके किसी भाग से बेदखल करने का प्रयास करे, ना ही बेदखल करे, ना ही कब्जा करने / कराने का प्रयास करे, ना ही उसमे प्रार्थी को फसल काश्त करने से अथवा फसल काटने/प्राप्त करने से रोके, ना ही उसमे कोई तोडफोड, तरमीम, तब्दील, परिवर्तन, परिवर्धन, निर्माण, रद्धोबदल, कारतामीरात आदि ही करे, ना ही उसे किसी तरह से क्षतिग्रस्त करे, ना ही उसमे कोई नुकसान पहुंचावे, ना ही उक्त भूमियों अथवा उनके किसी भाग को बिना विभाजन करवाये किसी अन्य व्यक्तियों को बेचने का प्रयास करे, ना ही बेचान करे, ना ही बेचान का इकरार करे, ना ही कोई आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त करे, ना ही बेचान बाबत किसी तरह का कोई हस्तांतरण बाबत विलेख निष्पादित करे, ना ही उसे पंजीकृत करावे, ना ही किसी अन्य को उक्त भूमियों में काबिज करवाने का प्रयास करे, ना ही किसी अन्य के नाम कोई नामांतरकरण करवायें तथा ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त भूमियों में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, स्वत्व आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हों। चूंकि अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 उक्त भूमियों को बिना विभाजन करवाये अन्य को बेचान करके उसका पंजीयन अप्रार्थी नंबर 29 के यहां करवाने एवं उसका नामांतरकरण अप्रार्थी नंबर 28 के यहां पर करवाने पर आमादा है अतः आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी नंबर 28 व 29 को भी पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी नंबर 28 व 29 अप्रार्थी नंबर 30 के अधीन कार्यरत होने से अप्रार्थी नंबर 30 को भी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अप्रार्थी नंबर 28 व 29 को भी पाबंद किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 द्वारा स्वयं अथवा मुखत्यार आम अथवा अधिकृत प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य के जरिये उक्त वादग्रस्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में बिना विभाजन करवाये किसी तरह का एवं किसी भी आशय का कोई हस्तांतरण बाबत विलेख अथवा कोई नामांतरकण आवेदन पेश किये जाने पर अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में ना तो कोई विलेख पंजीयन करे, ना ही पंजीयन संबंधी कोई कार्यवाही ही करें, ना ही किसी अन्य के हक में कोई नामांतरकरण ही करे। यदि अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 को निषेधित नहीं किया गया तो वे प्रार्थी को उपरोक्त आराजियात से जबरन बेदखल करके उस पर स्वयं भी कब्जा करेंगे एवं उसे अन्य को विक्रय करते हुए अन्य को काबिज भी करवा देंगे तथा उसमें तोडफोड करते हुए क्षतिग्रस्त कर देंगे तथा उसमें निर्माण करते हुए उसका स्वरूप ही परिवर्तित कर देंगे। उसके परिणामस्वरूप प्रार्थी को काफी असहनीय, अपूर्णीय एवं अपरिमित क्षति कारित होगी तथा उसके हितों पर भारी कुठाराघात होगा तथा वह अपनी खातेदारी हक हकूक की आराजी भूमियों से ही वंचित हो जायेंगा। उसके परिणामस्वरूप प्रार्थी को जो क्षति कारित होगी उसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

जाना संभव नहीं हो सकेगा। इस कारण प्रार्थी अब अपने संपति संबंधी अधिकारों की रक्षा केवलमात्र माननीय न्यायालय के माध्यम से ही करवा सकता है। इस कारण इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई है उक्त प्रकरण अप्रार्थी नंबर 28 से 30 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया है जिनके विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है किंतु मौजूदा प्रकरण एक आवश्यक प्रकृति का प्रकरण है जिसमें यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर इंतजार किये जाने से मौजूदा प्रकरण का मकसद ही विफल हो जायेगा अतः नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 से उक्त आराजियात का बंटवारा करवाकर प्रार्थी का हिस्सा अलग करवाने हेतु निवेदन करता चला आ रहा है किंतु अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 हमेशा ही प्रार्थी को झूठे आश्वासन देते हुए टालते ही चले आ रहे है तथा आज दिवस तक बंटवारा नहीं करवाया है। इस कारण प्रार्थी अब माननीय न्यायालय के जरिये उक्त आराजियात का बंटवारा करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में अब प्रार्थी माननीय न्यायालय के माध्यम से उपरोक्त आराजियात का विभाजन करवाकर अपना हिस्सा अलग करवाने तथा अप्रार्थीगण को निषेध करवाने तथा इस हेतु माननीय न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में प्रार्थी का केस उसके पक्ष में प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। यह कि उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी ने बहैसियत वादी आज एक वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो कि काफी ठोस तथ्यों एवं आधारों पर आधारित है जिसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यह कि उपरोक्त अंकित की जा चुकी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 स्वयं, उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजदूर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे प्रार्थना पत्र के पद नंबर 1 में वर्णित आराजियात मे प्रार्थी के हक हिस्से में ना तो आवै, ना ही उसमे चले आ रहें प्रार्थी के हक, हिस्से, कब्जे, काश्त, उपयोग उपभोग आदि में कोई दखलअंदाजी उत्पन्न करे, ना ही उसमे किसी तरह का कोई दखल व/या बाधा उत्पन्न करे, ना ही उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास करे, ना ही कब्जा करे, ना ही प्रार्थी को उक्त भूमियों से अथवा उसके किसी भाग से बेदखल करने का प्रयास करे, ना ही बेदखल करे, ना ही कब्जा करने/कराने का प्रयास करे, ना ही उसमे प्रार्थी को फसल काश्त करने से अथवा फसल काटने / प्राप्त करने से रोके, ना ही उसमे कोई तोडफोड, तरमीम, तब्दील, परिवर्तन, परिवर्धन, निर्माण, रद्धोबदल, कारतामीरात आदि ही करे, ना ही उसे किसी तरह से क्षतिग्रस्त करे, ना ही उसमे कोई नुकसान पहुंचावे, ना ही उक्त भूमियों अथवा उनके किसी भाग को बिना विभाजन करवाये किसी अन्य व्यक्तियों को बेचने का प्रयास करे, ना ही बेचान करे, ना ही बेचान का इकरार करे, ना ही कोई आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (व्यावर)

करे, ना ही बेचान बाबत किसी तरह का कोई हस्तांतरण बाबत विलेख निष्पादित करे, ना ही उसे पंजीकृत करावे, ना ही किसी अन्य को उक्त भूमियों में काबिज करवाने का प्रयास करे, ना ही किसी अन्य के नाम कोई नामांतरकरण करवावें तथा ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त भूमियों में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, स्वत्व आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हों। अप्रार्थी नंबर 28 व 29 को भी पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 27 द्वारा स्वयं अथवा मुखत्यार आम अथवा अधिकृ त प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य के जरिये उक्त वादग्रस्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में बिना विभाजन करवाये किसी तरह का एवं किसी भी आशय का कोई हस्तांतरण बाबत विलेख अथवा कोई नामांतरकण आवेदन पेश किये जाने पर अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में ना तो कोई विलेख पंजीयन करे, ना ही पंजीयन संबंधी कोई कार्यवाही ही करें, ना ही किसी अन्य के हक में कोई नामांतरकरण ही करें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

बहस वादी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः-

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला :-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त अविभाजित उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि है। तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया है जो कि न्यायालय हाजा में जैरकार है। मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के सम्बध में जब तक सहखातेदारान् के हक हिस्सों का कानूनन विभाजन नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वादग्रस्त आराजी में से किस सहखातेदार का कौनसा भू भाग है। ऐसी दशा में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थी के पक्ष में स्थापित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन :-** चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि होने के कारण केवल प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नहीं हो सकता। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति :-** चुंकि पूर्वविवेचित दोनो बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुये है साथ ही प्रार्थी यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहें है कि यदि उनके पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (व्यावर)

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। जबकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भ-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 24/10/2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भ-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)